भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या –3674
उत्तर देने की तारीखः 10.12.2019

सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र हेतु सुगम्य भारत अभियान

3674. श्री ए॰ नारायण स्वामीः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में 'सुगम्य भारत' अभियान की प्रगति का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य परिवहन निगम इसे लागू कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी राज्य–वार स्थिति क्या है;

(ग) कर्नाटक द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उपक्रमों विशेषकर कर्नाटक में पीएसयू–वार अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के रोजगार के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या निजी क्षेत्र में निःशक्त जनों के रोजगार की स्थिति उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा कोई ठोस उपाय किए जा रहे हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री
(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) सरकार ने निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वसुलभ सुगम्यता सृजित करने हेतु सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया है। सरकार ने 1058 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पहचाने गए भवनों को सुगम्य बनाने के लिए 354.**45 करोड रुपए की धनराशि जारी की है।** राज्य–वार ब्यौरा अनुबंध –। में है। जहाँ तक केन्द्रीय सरकारी भवनों का संबंध है, सीपीडब्ल्यूडी ने सुगम्य भारत अभियान के तहत 211 भवनों को सुगम्य बना दिया है।

सुगम्य बनाई गई पहचानी गई 336 वेबसाइटों का राज्य–वार ब्यौरा अनुबंध–II पर है। पहचानी गई 100 केन्द्रीय सरकारी वेबसाइटों में से 95 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया गया है।

दिव्यांगजनों की सुविधाओं वाले रेलवे स्टेशनों के राज्य–वार ब्यौरे का रख–रखाव नहीं किया गया है। भारतीय रेल, सुगम्य भारत अभियान के भाग के रूप में अपने स्टेशनों को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाने क लिए प्रतिबद्ध है। रेलवे स्टेशनों पर दिव्यांगजन के लिए सुविधाओं सहित सुख–सुविधाओं का सुधार/संवर्धन, एक सतत प्रक्रिया है। स्टेशन की आमदनी और यात्रियों को नियंत्रण करने के आधार पर स्टेशन की श्रेणी के आधार पर दिव्यांगजन के लिए सुविधाओं के प्रावधानों को प्राथमिकता दी जाती है।

35 अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और 55 घरेलू हवाई अड्डों पर सुगम्यता संबंधी विशेषताएँ उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य–वार ब्यौरा अनुबंध–III पर है।

1,45,287 बसों में से 35,720 (24.59 प्रतिशत) बसों में सुगम्यता विशेषताएं उपलब्ध कराई गई है। राज्य–वार ब्यौरा अनुबंध–IV पर है।

(ख) और (ग): संविधान की धारा 57 के अनुसार, सड़क मार्ग से परिवहन, राज्य से संबंधित विषय है। राज्य सड़क परिवहन उपक्रम (एसआरटीयू), संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन काम करता है। सुगम्य भारत अभियान के तहत कर्नाटक सहित राज्य–वार ब्यौरे अनुबंध–IV पर है।

(घ) से (छ): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और निजी क्षेत्र में भिन्न रूप से सक्षम लोगों के रोजगार का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। सरकार राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसमें डिजिटल पोर्टल शामिल है और यह नौकरी पाने के इच्छुक और नियोक्ताओं के लिए एक सक्रिय, कुशल और उत्तरदायी तरीके से नौकरी–मिलान के लिए एक राष्ट्रव्यापी ऑनलाईन मंच प्रदान करता है तथा नौकरी पाने के इच्छुकों के लिए कैरियर विषय सूची का कोष है। इसके अतिरिक्त, निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) का नियोजन करने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना के तहत, नियोक्ताओं को निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, दिव्यांगजन कर्मचारी के लिए आय की किसी भी अधिकतम सीमा के बिना, सरकार द्वारा नियोक्ता के ईपीएफ और ईएसआई में अंशदान 10 वर्ष तक है। सरकार दिव्यांग कर्मचारी को देय और स्वीकार्य ग्रेच्यूटी धनराशि के एक–तिहाई को भी वहन करेगी।

सुगम्य भारत अभियान के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3674 दिनांक 10.12.2019 में उल्लिखित अनुबंध

सुगम्य भारत अभियान के तहत भवनों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	इमारतों की संख्या जिसके लिए निधि जारी की गई है	जारी की गई राशि (लाख)
1	अंडमान एंव निकोबार द्वीप समूह	23	632.32
2	आंध्र प्रदेश	38	1436.33
3	असम	24	697.84
4	बिहार	21	925.14
5	छत्तीसगढ़	23	688.59
6	चंडीगढ़	43	415.38
7	दिल्ली	18	1393.77
8	गोवा	30	444.63
9	गुजरात	26	114.37
10	हरियाणा	64	1394.79
11	हिमाचल प्रदेश	8	368.62
12	जम्मू और कश्मीर	29	1808.72
13	झारखंड	14	1166.85
14	कर्नाटक	20	1104.11
15	केरल	28	429.98
16	मध्य प्रदेश	31	973.51
17	महाराष्ट्र	142	1863.34
18	मेघालय	22	2014.83
19	मिजोरम	23	298.05
20	नागालैंड	16	510.6
21	ओडिशा	32	1753.73
22	पुडुचेरी	28	273.15
23	पंजाब	14	837.74
24	राजस्थान	88	3813
25	सिक्किम	35	578.14
26	तमिलनाडु	16	1103.88
27	तेलंगाना	16	919.24
28	त्रिपुरा	14	2625.05
29	उत्तराखंड	9	165.62
30	उत्तर प्रदेश	137	3299.83
31	पश्चिम बंगाल	26	1394.73
	कुल	**1058**	**35445.86**

अनुबंध- II

सुगम्य भारत अभियान के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3674 दिनांक 10.12.2019 में उल्लिखित अनुबंध।

राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों	आंध्र प्रदेश	अंडमान और निकोबार	चंडीगढ़	छत्तीसगढ़	दादर और नगर हवेली	दमन और दीव	दिल्ली	गोवा	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	झारखंड	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मेघालय	ओडिशा	पुडुचेरी	पंजाब	राजस्थान	तमिल नाडु	उत्तर प्रदेश	कुल
वेबसाइट होस्टेड / मेड लाइव	3	0	18	52	3	3	26	13	15	49	5	5	24	0	33	19	30	0	17	13	0	0	8	336

अनुबंध- III

सुगम्य भारत अभियान के संबंध में लोक सभा के दिनांक 10.12.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3674 में उल्लिखित अनुबंध

सुगम्य भारत अभियान का कार्यान्वयन

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे

आंध्र प्रदेश
1. तिरुपति
2. विजयवाड़ा
3. विशाखापत्तनम

असम
4. गुवाहाटी

बिहार
5. गया
6. पटना

दिल्ली
7. दिल्ली

गोवा
8. गोवा

गुजरात
9. अहमदाबाद

कर्नाटक
10. मंगलौर
11. बेंगलुरु
12. कन्नूर

केरल
13. कोचीन
14. कालीकट
15. तिरुवनंतपुरम

महाराष्ट्र
16. औरंगाबाद
17. मुंबई
18. नागपुर
19. पुणे

मणिपुर
20. इंफाल

ओडिशा
21. भुवनेश्वर

पंजाब
22. अमृतसर

राजस्थान
23. जयपुर

तमिलनाडु
24. चेन्नई
25. कोयंबटूर
26. मदुरै
27. तिरुचिरापल्ली

तेलंगाना
28. हैदराबाद

घरेलू हवाई अड्डे

आंध्र प्रदेश
1. कडपा
2. राजामुंदरी

असम
3. डिब्रूगढ़
4. जोरहाट
5. लिबाबरी
6. सिलचर
7. तेजपुर

छत्तीसगढ़
8. रायपुर

गुजरात
9. भावनगर
10. भुज
11. जामनगर
12. पोरबंदर
13. राजकोट
14. सूरत
15. वडोदरा
16. कांडला

हिमाचल प्रदेश
17. कांगड़ा
18. कुल्लू
19. शिमला

झारखंड
20. रांची

कर्नाटक
21. बेलगाम
22. हुबली
23. मैसूर

मध्य प्रदेश
24. भोपाल
25. ग्वालियर
26. इंदौर
27. जबलपुर
28. खजुराहो

महाराष्ट्र
29. कोल्हापुर

मेघालय
30. शिलांग

नगालैंड
31. दीमापुर

ओडिशा

त्रिपुरा
44. अगरतला

उत्तर प्रदेश
45. आगरा
46. इलाहाबाद
47. गोरखपुर
48. कानपुर

उत्तराखण्ड
49. देहरादून
50. पंतनगर

केंद्र शासित प्रदेश
51. अगाती
52. दीव
53. जम्मू
54. लेह
55. पुदुचेरी

उत्तर प्रदेश

29. लखनऊ
30. वाराणसी

पश्चिम बंगाल

31. बागडोगरा
32. कोलकाता

केंद्र शासित प्रदेश

33. चंडीगढ़
34. पोर्ट ब्लेयर
35. श्रीनगर

32. झारसुगुडा

पंजाब

33. भटिंडा
34. पठानकोट
35. आदमपुर
36. लुधियाना

राजस्थान

37. बीकानेर
38. जैसलमेर
39. जोधपुर
40. किशनगढ़
41. उदयपुर

तमिलनाडु

42. सलेम
43. तूतीकोरिन

सुगम्य भारत अभियान के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3674 दिनांक 10.12.2019 में उल्लिखित अनुबंध

नवंबर 2019 के लिए सुगम्य भारत अभियान के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम द्वारा आयोजित बसों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	(संचालन में वाहन)	नगरों के बीच का			शहरी		
			इंटर सिटी चालू बेड़ा	व्हील चेयर के साथ पूरी तरह से सुलभ	सुगम्य	शहरी चालू बेड़ा	व्हील चेयर से सुगम्य	सुगम्य
1	अंडमान और निकोबार	268	268	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	11905	11,156	0	0	749	0	43
3	अरुणाचल प्रदेश	255	255	0	0	0	0	0
4	असम	958	958	75	212	0	0	0
5	बिहार	414	414	0	105	0	0	0
6	चंडीगढ़	567	0	0	0	567	0	358
7	दिल्ली	5475	0	0	0	5475	3781	1679
8	गोवा	540	494	0	0	46	2	44
9	गुजरात	9325	7147	0	0	2178	0	1378
10	हरियाणा	3477	3477	0	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	3000	3000	0	85	0	0	0
12	जम्मू और कश्मीर	694	694	0	0	0	0	0
13	कर्नाटक	24,881	18,164	2	265	6717	1217	5500
14	केरल	6353	5686	0	0	667	0	190
15	महाराष्ट्र	24,692	18,094	0	8000	6598	157	1265
16	मेघालय परिवहन निगम	61	61	0	0	0	0	0
17	मिजोरम राज्य परिवहन	40	40	0	0	0	0	0
18	नागालैंड राज्य परिवहन	263	263	0	5	0	0	0
19	उत्तर बंगाल	965	937	0	0	28	0	28
20	ओडिशा	571	461	0	0	110	0	12
21	पुडुचेरी	110	0	0	0	110	0	10
22	पंजाब	2807	2807	0	20	0	0	0
23	राजस्थान	3803	3678	0	3540	125	0	125
24	सिक्किम	97	97	0	0	0	0	0
25	दक्षिण बंगाल	661	661	0	0	0	0	0
26	तमिलनाडु	20158	15,796	0	2321	4362	10	2216
27	तेलंगाना	10490	10226	0	0	264	0	264
28	त्रिपुरा	63	63	0	0	0	0	0
29	उत्तराखंड	1225	1225	0	0	0	0	0
30	उत्तर प्रदेश	10,359	9219	0	947	1140	0	1140
31	पश्चिम बंगाल	810	92	0	92	718	0	632
कुल		145,287	115,433	77	15,592	29,854	5167	14,884